राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत साहुवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 69/2017

1. श्रीमती चन्द्रा पंवार उर्फ चावली {पुत्री श्री ख्यालीराम} पत्नी श्री नरेश कुमार पंवार जाति बिश्नोई, निवासी चक 10 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **वादीया**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ऋषीपाल जोषी अधिवक्ता — वादी
2. श्री पैरोकार राज

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.05.2017

वादीया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 60/61 के मुरब्बा नम्बर 32, 40, 41 की कुल 8.185 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से वादीया (चावली पुत्री ख्याली) के नाम से 4.093 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं चक 12 एल.एन.पी. पटवार हल्का 11 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 7/20 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीया (चावली पुत्री ख्यालीराम) के नाम 1.581 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त कृषि भूमि वादीया के पिताजी ख्यालीराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्त में प्राप्त हुई है चूंकि कृषि भूमि के रिकार्ड में वादीया का घरेलू नाम ''चावली पुत्री ख्यालीराम'' अंकित कर दिया गया है जबकि वादीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि में वादीया का नाम ''चन्द्रा पंवार'' अंकित है । वादीया का कृषि भूमि के रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादीया के नाम से जारी मतदाता पहचान, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादीया को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादीया वंचित हो रही है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित ''चावली पुत्री ख्यालीराम {ख्याली}'' एवं ''चन्द्रा पंवार पत्नी नरेश कुमार पंवार'' वादीया का ही नाम है तथा एक ही औरत है ।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चक 10 एल.एन.पी. के खाता संख्या 60/61, चक 12 एल.एन.पी के खाता संख्या 7/10 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति तथा वादीया के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज की प्रतियां संलग्न वाद पत्र है ।

वादीया ने दिनांक 01.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतु हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादीया को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीया स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

1. चक 10 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 60/61 के मुरब्बा नम्बर 32, 40, 41 में वादीया (चावली पुत्री ख्याली) के नाम दर्ज 4.093 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में एवं चक 12 एल.एन.पी पटवार हल्का 11 एल.एन.पी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 7/20 के मुरब्बा नम्बर 3 में वादीया (चावली पुत्री ख्यालीराम) के नाम दर्ज 1.581 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में अंकित वादीया के नाम ''चावली पुत्र ख्यालीराम {ख्याली}'' को दुरस्त किया जाकर ''चन्द्रा पंवार पुत्री ख्यालीराम'' अंकित करने के आदेश दिये जावे''।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादीया अपना नाम चन्द्रा पंवार करवाना चाहती है चावली व चन्द्रा पंवार एक ही औरत है।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादीया के अधिवक्ता को सुना गया वादीया के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया वाद पत्र को शपथ पत्र के तथ्यों के रूप में पढ़ा जाकर जावे।

वाद पत्र के समर्थन में वादीया की भाभी परमेश्वरी देवी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि के रिकार्ड में मेरी ननद का घरेलु नाम चावली पुत्री ख्यालीराम अंकित कर दिया गया है। कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित चावली पुत्री ख्यालीराम (ख्याली) एवम् चन्द्रा पंवार पत्नी नरेश कुमार पंवार मेरी ननद का ही नाम है। तथा एक ही औरत है। सरपंच ग्राम पंचायत 6 एल.एन.पी. द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, कि चन्द्रा उर्फ चावली पुत्री ख्यालीराम पत्नी नरेश कुमार पंवार जाति बिश्नोई निवासी 10 एल.एन.पी. ग्राम पंचायत 6 एल.एन.पी. (कुण्डलावाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर की है ये यहां 15 वर्षो से निवासी कर रही है चन्द्रा व चावली दोनों एक ही औरत के नाम है, मै इन्हे व्यक्तिगत रूप से जानता हुँ मेरी ग्राम पंचायत के वासिन्दे है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया को अनुतोष प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादीया पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कर धारा 88 के अन्तर्गत चक 10 एल.एन.पी. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 60/61 के मुरब्बा नम्बर 32, 40, 41 में वादीया (चावली पुत्री ख्याली) के नाम दर्ज 4.093 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में एवं चक 12 एल.एन.पी पटवार हल्का 11 एल.एन.पी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 7/20 के मुरब्बा नम्बर 3 में वादीया (चावली पुत्री ख्यालीराम) के नाम दर्ज 1.581 हैक्टर कृषि भूमि में ''चन्द्रा पंवार पुत्री ख्यालीराम'' को खातेदार घोषित करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत उक्त वर्णित भूमि मे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर श्रीमती चन्द्रा पंवार पुत्री श्री ख्यालीराम पत्नी श्री नरेश कुमार पंवार जाति बिश्नोई, निवासी चक 10 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर दर्ज करनें का आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साहुवाला में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर